

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी अतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल खिड़की केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 183 दिनांक 17/07/2019

प्रार्थी **विरणु प्रसाद पुरोहित डी० सी० अण्डरलान पुोसि**

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 P.No: 57 खसरा नम्बर 5

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रूपये 19880/- मात्र

जरिये रसीद संख्या 1028/407/4072

दिनांक 17/07/2019 को जमा करा दी है ।

(Signature)

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

मी +)
आवासीय

(Signature)
86193-11494